

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(4) आप्रसआ/सामान्य/2017/8424-44 दिनांक 01-08-2017 के द्वारा राज्य के पाली, सिरोही, जालौर एवं बाड़मेर के 1290 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में प्रभावित काश्तकारों से भू-राजस्व वसूली को स्थगन किया जाकर इस संबंध में जारी निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:-अधिसूचना की प्रति

भवदीय,
11/8/17
(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव

अति० मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग,
राज० जयपुर।

एफ 1(4)आ०प्र०एवंसहा/सामान्य/2017/ 8445-
जयपुर, दिनांक 01/08/2017